



बिहार विधान परिषद्

213 माँनसून सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

24 जुलाई, 2026

[शिक्षा - उच्च शिक्षा - विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा - खान एवं भूतत्व
- कला एवं संस्कृति - खेल].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या -26

शनिवार को हाफ डे का प्रावधान

80 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :
श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व में शनिवार के दिन हाफ डे का प्रावधान था;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, राज्य सरकार पूर्व की भाँति सभी सरकारी

विद्यालयों में शनिवार हाफ डे का प्रावधान पुनः लागू करना चाहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे का प्रावधान अतिशीघ्र लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वेतन सत्यापन पर्ची

81 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पत्रांक NOU/R/128, दिनांक 20.7.2021 के द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के 21 कर्मियों के वेतन सत्यापन हेतु सत्यापन कोषांग को प्रेषित किया गया तथा विभागीय निर्देशानुसार सभी प्रपत्रों को विधिवत रूप से भरकर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी वेतन सत्यापन कोषांग को अग्रसारित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित 21 कर्मियों में से सिर्फ तीन कर्मियों का ही वेतन सत्यापन पर्ची निर्गत किया गया है तथा वहाँ के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा शेष 18 कर्मियों के वेतन सत्यापन संबंधी कार्य को रोक कर रख लिए जाने के कारण 7वें वेतमान के बकाए (एरियर) की राशि का भुगतान लंबित है;

(ग) क्या यह सही है कि इस अवधि में 3-4 कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा कुछ सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वेतन सत्यापन पर्ची नहीं मिलने के कारण वि० वि० प्रशासन द्वारा ससमय अपेक्षित लाभ नहीं दिया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त वर्णित खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 18 कर्मियों के वेतन सत्यापन पर्ची निर्गत में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारी की पहचान कर उनके विरुद्ध कारवाई एवं सत्यापन पर्ची निर्गत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

82 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले का वाल्मीकिनगर क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल एवं भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हेतु राज्य के अन्य भागों अथवा अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जबकि राज्य में अब तक एक भी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वाल्मीकिनगर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय भाषा, संस्कृति, कला एवं परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वाल्मीकिनगर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कम्प्यूटर विज्ञान विषय अनिवार्य

83 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक) :

श्री कुमार नागेन्द्र(स्थानीय प्राधिकार : जहानाबाद : गया एवं अरवल) :

श्री नीरज कुमार(पटना स्नातक) :

प्रो. संजय कुमार सिंह(तिरहुत शिक्षक) :

श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

श्री वंशीधर ब्रजवासी(स्नातक तिरहुत) :

प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक अथवा प्लस टू शिक्षा में कम्प्यूटर विज्ञान को अभी तक अनिवार्य विषय का दर्जा नहीं है, जिसके

कारण इस अतिमहत्वपूर्ण विषय में अध्यनरत छात्र-छात्राएं अपने डिजिटल टैलेंट के प्रति उदासीन हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त महत्वपूर्ण विषय में नियुक्त/कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों को सेवाकालीन बी. एड. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराए जाने के लिए विभाग ने अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं की है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के साथ-साथ संबंधित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण कराते हुए उन्हें प्रोन्नति समेत अन्य सुविधाएं प्रावधानित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मूलभूत सुविधाएं

84 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मगध प्रमंडल के गया, जहानाबाद और अरवल जिले में कई नए सरकारी डिग्री कॉलेज तो खोल दिए गए हैं परंतु उनमें मूलभूत सुविधाओं जैसे भवन, उपस्कर, शिक्षकों इत्यादि की घोर कमी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मगध प्रमंडल में खोले गए नए सरकारी डिग्री कॉलेज में सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थानांतरण में वरीयता

85 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में स्थानांतरण हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक अंक देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में स्थानीय निकाय में कार्यरत 'विशिष्ट शिक्षकों' के ई-शिक्षाकोष प्रोफाइल में 'Date of joining' प्रारंभिक योगदान तिथि से अद्यतन हो गई है, किन्तु पूर्व में स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि जोड़कर तिथि अद्यतन नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय अध्यापकों को भी स्थानांतरण में अंक आधारित वरीयता का लाभ देने हेतु ई-शिक्षाकोष में इनकी 'Date of joining' को स्थानीय निकाय में प्रारंभिक योगदान तिथि से अद्यतन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों का वेतन भुगतान

86 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के सुनील कुमार मंडल प्राथमिक विद्यालय कौना टोल कढ़वा, मो० शमरीर आलम, प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर घर्नाबटी सहित कई प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का बकाया, लंबित नियमित वेतन का भुगतान कई महीनों से नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के पश्चात वेतन भुगतान जिला शिक्षा, पदाधिकारी अररिया के यहां लंबित है;

(ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया जानबूझकर वेतन भुगतान में व्यवधान पैदा कर भुगतान नहीं होने दे रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों का वेतन भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सरकार की कार्य योजना

87 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दिनांक- 14.05.2026 को प्रकाशित सी०बी०एस०ई० 12वीं के परीक्षा फल के अनुसार देश भर में रीजन-वाइज रैंकिंग में पटना रीजन 74.43% सफलता दर के साथ 21वें पायदान पर खिसक गया है, जो सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार का पास प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 85.20% से 10.75% कम है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दर्शाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के छात्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत के बराबर हो, इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है और उसे कबसे लागू करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

मूलभूत सुविधा

88 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कई नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन तो है, परंतु अधिकांश विद्यालय में मूलभूत सुविधा यथा- बेंच-डेस्क, उपस्कर, शौचालय, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के भवनहीन नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कराने तथा जहां भवन है, वहां मूलभूत सुविधा यथा- बेंच-डेस्क, उपस्कर, शौचालय, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं की उपलब्धता यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वेतन का भुगतान

89 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधीन रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, बेतिया सहित उक्त विश्वविद्यालय अंतर्गत कई महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारीगण वर्ष 2019 से कार्यरत हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के ज्ञापांक संख्या- 20/भी.सी. दिनांक 22.01.2020 के तहत कार्य करने का अनुमोदन मिला;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमोदन के बावजूद वर्तमान प्राचार्य द्वारा भुगतान बंद कर दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि बंद वेतन के भुगतान के लिए उक्त कर्मचारी न्यायालय गए जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश संख्या- वाद संख्या – 5607/2026, दिनांक 01.05.2026 के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान (2024 से अबतक का) तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया गया, लेकिन स्थिति यथावत् है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'क' में वर्णित कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समय-सीमा निर्धारित

90 श्री सैयद फैसल अली (विधान सभा):

क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव द्वारा पिछले साल घोषित डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, GCC, मेगा टेक सिटी और फिन-टेक सिटी पर काम अभी तक शुरू

नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि 22 राज्यों को मिलाकर 7 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में बिहार का नाम नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), मेगा टेक सिटी एवं फिन-टेक सिटी की स्थापना हेतु विस्तृत विवरण तथा समय-सीमा निर्धारित करना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक?

लंबित वेतन का भुगतान

91 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि CWJC No-7548/2020 में दिनांक-22.06.2022 एवं CWJC No-16198 दिनांक-18.08.2022 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-7/ विविध-47/2018--746, दिनांक-11.07.2022 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ((स्थापना) बिहार को यह निदेश दिया गया है कि जिलों के नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलान्तर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लंबित मामले का निष्पादन विभागीय पत्रांक-734, दिनांक-08.07.2022 के आलोक में 15 दिनों के अंदर किया जाय;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित न्यायादेश एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बैरगनिया स्थित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों यथा-मनोज कुमार, शकील अहमद, अमृता कुमारी, सुनिता कुमारी, राजू कुमार एवं अन्य का वेतन भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड “ख” में वर्णित शिक्षकों का लंबित वेतन का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषियों पर कार्रवाई

92 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के प्रखंड-गोविन्दपुर में खखंदुआ पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र अवस्थित है जो M/S भगवती स्टोन क्रेपर प्लांट के नाम से बन्दोवस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि M/S भगवती स्टोन क्रेपर प्लांट के लिजधारक के द्वारा विभाग के निर्धारित तय सीमा के विरुद्ध ओवर लोडिंग कर खखन्दुआ खनन पट्टा क्षेत्र से प्रतिदिन करीब सैंकड़ों भारी वाहनों के द्वारा पत्थर एवं डस्ट उत्खनन कर उत्प्रेषण किया जाता है, जिससे ग्रामीण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि सड़क जर्जर होने एवं डस्ट-धुल उड़ने से आस-पास के लगभग दर्जनों गाँवों में रहने वाले बूढ़े-बुजुर्गों, महिलाओं एवं स्कूल जानेवाले छात्र-छात्राओं को काफी परेशानी एवं असुरक्षित महसूस करते हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार M/S भगवती स्टोन क्रेपर प्लांट के लिजधारक के द्वारा ओवर लोडिंग के विरुद्ध उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पेय-जल की व्यवस्था

93 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही कि पश्चिम चंपारण के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाल्मीकिनगर में पेय-जल की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पेय-जल की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

समारोह राजकीय स्तर पर आयोजित

94 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मैथिली भाषा के उन्नायकों में महाकवि विद्यापति, महाकवि चन्दा झा एवं महाकवि पंडित लालदास का नाम अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि माता सीता के चरित्र एवं आदर्शों को मैथिली साहित्य के माध्यम से व्यापक रूप से जन-जन तक पहुँचाने वाले महाकवि पंडित लालदास की स्मृति में राजकीय स्तर पर स्मृति समारोह आयोजित करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के खड़ौआ ग्राम में उनके परिजन एवं ग्रामीण आपसी सहयोग (चंदा) से प्रतिवर्ष उनका स्मृति दिवस आयोजित करते हैं, किंतु इस आयोजन के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाकवि पंडित लालदास का स्मृति समारोह प्रतिवर्ष राजकीय स्तर पर आयोजित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ढुलाई पर रोक

95 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, नवादा एवं पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के बीच बरखंदुआ में पत्थर माईनिंग की लीज के हुए इकरारनामा की कंडिका-

44 में वर्णित है कि पत्थर की ढुलाई मुख्य सड़क से की जायेगी न कि पी०एम०जी०एस०वाई० रोड से;

(ख) क्या यह सही है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नवादा जिला सहित पूरे राज्य में पत्थर एवं बालू की ढुलाई मुख्य सड़क से ही करने का निर्देश जारी रहने के बावजूद पी०एम०जी०एस०वाई० सड़कों से ढुलाई की जा रही है, जिससे नवादा सहित राज्य की अधिकांश पी०एम०जी०एस०वाई० सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पी०एम०जी०एस०वाई० सड़कों से बालू-पत्थर की ढुलाई पर रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

96 श्री लाल मोहन गुप्ता (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है की मुंगेर जिलांतर्गत जमालपुर नगर परिषद स्थित PD (पार्वती देवी) उच्च विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है कभी-भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का नए भवन का निर्माण करवा कर बच्चों को भय मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

गृह जिले में परीक्षा सेंटर

97 श्रीमती शीला पंडित (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अध्ययनरत 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बालिकाओं को अपने बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु गृह जिला से दूसरे जिला में जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि दूसरे जिलों में कई बालिकाओं को सूरुर गाँव में परीक्षा देने हेतु मजबूर होना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षाओं को एक से अधिक दिनों में सम्पन्न विषयवार अलग-अलग दिनों में किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने वाली बालिकाओं को उनके गृह जिले में ही परीक्षा सेंटर देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

ऑडिटोरियम का निर्माण

98 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):

क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अपनी कला और संस्कृति के लिए चर्चित पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती कटिहार शहर में कला एवं संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का नितांत अभाव है, जिससे यहां के कलाकारों की प्रतिभा कुंठित हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि ऑडिटोरियम के अभाव में अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित कलाकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं और कला-संस्कृति की पुरानी परम्परा धूमिल होती जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि शहर से लेकर ग्रामीण स्तर के कलाकारों के लिए कला का प्रदर्शन करने के लिए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण हो जाने से इनकी प्रतिभा में निखार आएगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार शहर में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कराना चाहती हैं, यदि हां तो कबतक?

ऑडीटोरियम का निर्माण

99 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर में राज्य स्तरीय ऑडीटोरियम नहीं है, जिससे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों या अन्य राजनैतिक कार्यक्रम के आयोजन में कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के अन्य जिलो यथा मोतिहारी, बेत्तिया आदि स्थानों पर कला संस्कृति विभाग द्वारा 2000 क्षमता के आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडीटोरियम का निर्माण कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 2025 में पत्र भेज कर ऑडीटोरियम निर्माण हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में समाहर्ता, गोपालगंज द्वारा विभाग से पत्राचार किया गया है जिसकी स्वीकृति लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज शहर में राज्य स्तरीय ऑडीटोरियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सातवें वेतन का लाभ

100 श्री सोनु कुमार राय (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों को तीन माह तक वित्तीय लाभ देकर रोक लगा दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी कर्मियों को

सातवें वेतन के लाभ पर लगे रोक को हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लंबित वेतन का भुगतान

101 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के जनवरी, 2025 से लंबित वेतन भुगतान हेतु दो चरणों में क्रमशः प्रथम चरण के 248 एवं द्वितीय चरण के 51 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पालीगंज द्वारा सेवा पुस्तिकाओं की संपुष्टि हेतु उन्हें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना को भेजा गया है तथा विभागीय संपुष्टि एवं आवश्यक आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद दिनांक 05.07.2026 तक प्रथम एवं द्वितीय चरण के चयनित शिक्षकों में से मात्र 42 शिक्षकों के बकाया वेतन का ही भुगतान किया गया है, जबकि शेष शिक्षक अब भी भुगतान से वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 257 विशिष्ट शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान सुनिश्चित करना चाहती है, साथ ही, आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद चुनिंदा शिक्षकों को ही भुगतान किए जाने तथा शेष शिक्षकों के भुगतान में विलंब किए जाने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

चहारदीवारी का निर्माण

102 श्री अनिल ठाकुर (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक सरकारी विद्यालयों, विशेषकर पूर्णिया जिले के

जलालगढ़ एवं कसबा प्रखंडों के विद्यालयों में आज भी चहारदीवारी का अभाव है, जिसके कारण विद्यालय परिसर की सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा शैक्षणिक वातावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराए जाने से विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, विद्यालय परिसर अतिक्रमण एवं असामाजिक गतिविधियों से सुरक्षित रहेगा तथा शिक्षण कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णिया जिला के जलालगढ़ एवं कसबा प्रखंडों सहित राज्य के सभी चहारदीवारी-विहीन सरकारी विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पोस्ट डॉक्टरल शोध की व्यवस्था

103 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य विश्वविद्यालयों में पोस्ट डॉक्टरल शोध के अवसर नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में उन्नत शोध के व्यवस्था नहीं होने से प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान, नवाचार एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों में पोस्ट डॉक्टरल शोध की आवश्यकता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में पोस्ट डॉक्टरल शोध की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गृह प्रखण्ड में पदस्थापन

104 डा. भारती मेहता (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अधिक वर्षों से सेवारत शिक्षकों, जिनमें दिव्यांगजन कोटि में चयनित शिक्षक शामिल हैं, उनका स्थानान्तरण रेशनलाईजेशन के आधार पर किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों में दिव्यांगजन कोटि के शिक्षकों को रेशनलाईजेशन में शामिल करते हुए स्थानान्तरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को गृह प्रखण्ड में स्थानान्तरण नहीं होने के कारण काफी शारीरिक एवं मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित सभी शिक्षकों में दिव्यांगजन कोटि के शिक्षकों को रेशनलाईजेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हुए अपने गृह प्रखण्ड में पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रभार से मुक्त

105 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बेहद कमी के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रशासनिक कार्यों की अधिकता और शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों से अनजान रहने के कारण प्रखंड स्तर पर शिक्षकों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा इनपर विभागीय अधिकारियों का नियंत्रण

नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नगर शिक्षक को निलंबित कर दिया है और प्रा. वि. धरहरा नहर के पूर्व में पदस्थापित जयकांत शर्मा नामक शिक्षक से दलाली करा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रभार से मुक्त करने, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज और उनके दलाल शिक्षक जयकांत शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना – 800015

24 जुलाई, 2026

शंकर कुमार,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्